लेपर्ड को पकड़ने वन विभाग ने लगाया पिंजरा

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र की मांगथला ग्राम पंचायत में लेपर्ड को पकडने के लिए वन विभाग ने बीती रात पिंजरा लगाया है। दो दिन पहले खेत पर काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया था। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ऐसे में वे दिन में खेत पर अकेले काम करने से डर रहे हैं। किसान पर हमले की घटना सोमवार की है। जब किसान श्यामलाल डांगी (50) पुत्र रूपजी खेत में काम कर रहे थे। तभी पीछे से लेपर्ड ने हमला कर दिया। तभी खेत में थोडी दूरी पर काम कर रही पत्नी ने शोर मचाया और किसान ने भी खुद के बचाव की पूरी कोशिश की। इतने में लेपर्ड भाग गया।किसान के पीठ और गर्दन पर कई जगह घाव हो गए।

भाजपा ने बजट को जनकल्याणकारी जबकि विपक्ष ने छलावा व दिशाहीन बताया

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान सरकार द्वारा बुधवार को प्रस्तुत बजट 2026.27 को भाजपा ने जहाँ जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी बताया है वही पर विपक्ष ने इसे पूरी तरह से छलावा बताते हुए दिशाहीन एवं जन विरोधी बजट बताया है।

प्रदेश के बजट को लेकर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के सर्वांगीण विकास का बजट पेश किया है, जिसमें सरकार ने किसान,गृहणी, मजदूरों के साथ.साथ युवाओं का भी पूरा ध्यान रखा है।दूसरी और उदयपुर देहात एवं शहर जिला कांग्रेस ने वक्तव्य जारी कर राजस्थान सरकार के बजट को पूरी तरह दिशाहीन एवं आंकडों की बाजीगरी कहा है।उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार नहीं देता, किसानों को राहत नहीं देता,महंगाई से परेशान आम आदमी को कोई सहारा नहीं देता। केवल घोषणाओं का ढोल पीटा गया है लेकिन धरातल पर काम का कोई भरोसा नहीं देता है। पर्ची सरकार का यह बजट सिर्फ आंकडों की बाजीगरी है,इसमें विकास का कोई रोडमैप ही नहीं है।

उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड ने बजट पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि पर्ची सरकार का बजट हर बार की तरह इस बार भी कागजों तक सिमटी हुई घोषणाओं का पुलिंदा है। बजट को लेकर हर वर्ग को उम्मीद थी लेकिन वह भी निराशा में ही तब्दील हो गई। निवेश प्रोत्साहन के नाम पर सरकार ने सिर्फ प्रचार किया है परंतु जमीनी स्तर पर निवेश होता दिख नहीं रहा है।

कृषि आय में बढोतरी के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। युवाओं के स्वावलंबन के लिए जो घोषणाएं की गई हैंए उनकी पूर्ति और पहले की घोषणाओं का डाटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। कुल मिलकर पर्ची सरकार का यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन एवं जनविरोधी है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग कोऑर्डिनेटर डॉ संजीव राजपुरोहित ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पर्ची सरकार द्वारा दिए गए पिछले तीन बजट में 2718 से अधिक घोषणाएं करी गई थी जिनमें से सिर्फ 750 घोषणाएं ही पूरी हो पाई है। 707 घोषणाएं ऐसी करी गई जिनको आज तक छुआ भी नहीं गया है। इस बार भी सिर्फ जुमला बजट दिया गया है।

माकपा जिला सचिव और पूर्व पार्षद राजेश सिंघवी ने राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट को राजस्थान की जनता को ऊंचे सपने दिखा फिर से ठगने वाला बताया। सिंघवी ने बजट को आम जनता, मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान, छात्र, युवा के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में न हो मात्र लफ्फाजी होना बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट में यह उद्बोधन कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह सोचना है कि राजस्थान का युवा नौकरी लेने वाला नहींए नौकरी देने वाला बने ष्एक तरह से युवाओं के घावों पर नमक छिडकने जैसा हो रोजगार की इंतजार कर रहे युवाओ के साथ क्रूरता है

सार-समाचार

लोगों को वितरण की सहायता सामग्री

राजसमन्द, (निसं)। समीपवर्ती गजपुर ग्राम पंचायत अन्तर्गत बारिंड ग्राम स्थित भील बस्ती में मानवीय सेवा कार्य करते हुए आनंदमार्ग सेवादल सदस्यों ने पूर्व चिन्हित जरूरतमंद लोगों को भामाशाह के सहयोग से सहायता सामग्री वितरण की। गांव के मुख्य चौक में हुए सादे कार्यक्रम में सेवादल सदस्य आनंदमयी, जया खिलनानी व कार्यकर्ता मुकेश साहू ने अमेरिका निवासी भामाशाह कुलदीप सनाढ्य के अर्थ सहयोग से पूर्व में चिन्हित किए असहाय, दिव्यांग व दृष्टिबाधित व्यक्तियों को राशन सामग्री एवं दैनिक उपयोगी विभिन्न वस्तुएं प्रदान की। स्थानीय कार्यकर्ता दीपाराम ने वितरण में सहयोग प्रदान दिया। इस अवसर पर संस्था सदस्य आनंदमयी ने कहा कि मानव जीवन अनमोल है एवं दुख के समय दूसरों के काम आना ही जीवन की सार्थकता हो सकती है। केवल पूजा करना ही प्रभु की भक्ति नहीं होती है बल्कि पीडित मानवता की सेवा करना ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सबसे बडी सेवा होती है। इसलिए नरसेवा को नारायण सेवा कहा गया है। उन्होंने बस्तीवासियों से सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देने एवं अपने आसपास रहने वाले निर्धनतम लोगों की यथासम्भव मदद करने का आ ान भी किया। संस्था प्रतिनिधि अनुपम खिलनानी ने बताया कि समाजसेवी सनाढ्य की ओर से विगत लम्बे समय से चिन्हित उक्त जरूरतमंद लोगों को प्रतिमाह सहायता पहुंचाई जा रही है जो सराहनीय है।

कार्यशाला का आयोजन

राजसमन्द, (निसं)। लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल में जेंडर संवेदनशीलता पर कार्यशाला का आयोजन प्राचार्य की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम प्राचार्य डॉ. संजय अभिषेक ने जेंडर संवेदनशीलता पर बालिकाओं के अधिकारों शिक्षा सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला तत्पश्चात महिला अधिकारिता विभाग से जिला हब एंपावरमेंट वूमन से कांता माली जेंडर स्पेशलिस्ट ने आज की कार्यशाला का महत्व बताया कि व्यक्ति को समज में स्त्री पुरुष के बीच समानता सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना वह अपनाने से है इसके पश्चात पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र से अनीता मेवाडा केंद्र प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए लिंग समानता पर जागरूकता बढाना और समाज में व्याप्त गलत धारणाओं को बदलना एवं बालिकाओं में आत्मविश्वास बढता और अवेयरनेस व महिला हेल्पलाइन नंबर व 181 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी इसके पश्चात पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान केंद्र से राजकुमारी बैरागी विधि परामर्शदाता ने बालिकाओं को कानूनी जानकारी देते हुए महिलाओं के प्रति अपराध प्राथमिक की एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में अवगत कराते हुए अपराध के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से बताया गया जिसमें बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ छेडछाड मारपीट अपहरण के लिए मजबूर करने जैसे अपराध जैसी घटनाएं देखने को मिलती है और इन अपराधों से राहत दिलाने के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय से वनिता शर्मा, प्रभारी और अनिता शर्मा का विशेष योगदान रहा।

महिलाओं को भाग लेने का आव्हान

राजसमन्द, (निसं)। कुरज कस्बे की महिलाओं ने 11 फ रवरी से 2० फ रवरी तक फियावडी में श्री मंगरी श्याम भेरुनाथ में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ और भागवत कथा, दिव्य संतों के प्रवचन विशाल भजन संध्या में भाग लेने के लिए ग्रामीण महिलाओं से जनसम्पर्क किया। उन्होंने अवगत करते हुए बताया कि गुरुवार को प्रात: कलश शोभा यात्रा में अहीर मोहल्ला, राजोरा मोहल्ला, बस्सी मोहल्ला, मंदिर चौक, वीरवा मोहल्ला में घर- घर जाकर महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया तथा भागवत कथा सुनकर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित किया।

महिला की अकाल मौत

उदयपुर,(कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षैत्र में महिला की अकाल मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को प्रतापनगर थाना क्षैत्र चन्द्रा कॉलोनी निवासी अणछीबाई (54) पत्नी उदयलाल माली की अचानक तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए एमबी चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

लूट का प्रयास करने वाले दो आरोपी डिटेन

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन रोड़ पर राहगीर के साथ मारपीट कर मोबाइल लूट का प्रयास करने वालों को नामजद कर दो आरोपियों को डिटेन किया।

प्रकरण के अनुसार 9 फरवरी को कन्ट्रोल रूम से रेल्वे स्टेशन रोड़ पर राहगीर के साथ हुई मारपीट के संबंध में सूरजपोल थाना पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, जहां पीड़ित लोकेन्द्र सिंह को एमबी चिकित्सालय पहुंचा कर उपचार करवाया। मामले में लोकेन्द्रसिंह पुत्र कजोड़मल जाट निवासी फतहपुर शोखावटी सीकर ने प्रकरण दर्ज करवाया कि मैं सोलर सर्विस के लिए डबोक आया था काम पूरा कर रेल्वे स्टेशन आया था। इस दौरान चार बदमाशों ने मारपीट कर घायल कर मोबाईल लूट का प्रयास किया। 112 पुलिस जाब्ते ने मुझे चिकित्सालय पहुंचाया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर सूरजपोल थानाधिकारी महेश जोशी के नेतृत्व में एएसआई तेजसिंह मय टीम ने कार्यवाही करते हुए मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर चार बदमाशों को नामजद कर बदमाश गणेश पुत्र नारायण मोगिया व लक्ष्मणसिंह उर्फ लखन पुत्र प्रभूसिंह राजपूत को डिटेन किया।

बजट से आधारभूत ढांचे और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

■ राजस्थान बजट : उदयपुर के लिए खुले सौगातों के द्वार

उदयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर संकल्पित है। प्रदेश की उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2026-27 के बजट में उदयपुर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण और दूरगामी घोषणाएं की गई हैं। इसमें उदयपुर में यातायात सुधार, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उदयपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली सड़कों ौर पुलों के लिए भारी बजट आवंटित किया गया है। प्रतापनगर-बलीचा 4-लेन सड़क पर आयड़ नदी स्थित मौजूदा 2-लेन पुल को 4-लेन में विस्तारित किया जाएगा। साथ ही, स्टेट हाईवे-32 की क्रॉसिंग पर एक अंडर ब्रिज का निर्माण होगा। इस पूरी परियोजना पर 41करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा भुवाणा चौराहे से अंबेरी फ्लाईओवर तक सडक सुदृढीकरण के लिए 38.5 करोड़ की घोषणा की गई है। गोगुंदा क्षेत्र में बनास और साबरमती नदी पर सुगम आवागमन के लिए विभिन्न पुलियाओं का निर्माण 1०करोड़ की लागत से किया जाएगा। ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में खेरवाड़ा में कानबई भोमटावर से झांझरी (गुजरात सीमा) तक 1० किमी सड़क के लिए 1०करोड़ और वल्लभनगर के डबोक में राष्ट्रीय राजमार्ग -48 से टांक तक सड़क के लिए 8करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

शहर के सौंदर्य और सुरक्षा के लिए हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत करने हेतु 8.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सायरा में सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित होगा।

उदयपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए जयपुर और कोटा की तर्ज पर पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। फतहसागर झील की प्रसिद्ध रानी रोड के कायाकल्प के लिए डीपीआर तैयार करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा वल्लभनगर के भींडर में देवेला तालाब और गंभीर सागर झील के संरक्षण व सौंदर्यीकरण के लिए 4करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुख्य अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए अत्याधुनिक विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। राज्य के 6 प्रमुख शहरों के लिए इस मद में कुल 500 करोड़ रूपए का सामूहिक प्रावधान है। इसके अलावा महाराणा भूपाल अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर भी स्थापित होगा। वहीं रिजनल कैंसर उपचार केंद्र के लिए पीपीपी मोड पर उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्यपाल ने किया बालचरों का सम्मान

बांसवाड़ा, (निसं)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय के तत्वावधान में राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार सम्मान समारोह अवार्ड रैली का आयोजन स्टेट ट्रेनिंग सेंटर, जगतपुरा जयपुर में 9 से 12 फरवरी तक किया जा रहा है। सत्र 2025-26 में राज्य पुरस्कार की परीक्षा में सफल होने वाले जिले के 209 स्काउट, 146 गाइड, 15 रोवर एवं 20 रेंजर में से जयपुर द्वारा इस अवॉर्ड रैली के लिए आवंटित कोटा 4 स्काउट 2 गाइड, 1 रोवर एवं 2 रेंजर को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सम्मानित किया। शेष अन्य रहे स्काउट गाइड रोवर रेंजर के सम्मान प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय को प्राप्त होंगे फिर जिला मुख्यालय प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

कार्यशाला आयोजित

उदयपुर, (कासं)। महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत विकल्प संस्थान द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पुलिस थाना नाई से विधिक परामर्शदाता ममता गोस्वामी और गोगुंदा सुपरवाइजर सीमा चौहान द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगुंदा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में सुपरवाइजर सीमा चौहान द्वारा बालक बालिकाओं को शिक्षा सेतु योजना की जानकारी देते हुए नि:शुल्क कंप्युटर शिक्षा के बारे में बताया गया। इसके अलावा विवाह की सही उम्र, बाल विवाह के दुष्परिणाम की जानकारी दी गई। महिला सलाह सुरक्षा केंद्र से विधिक परामर्शदाता ममता गोस्वामी द्वारा बालिकाओं को केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए वेब (सखी वन स्टॉप सेंटर) जिसमें आश्रय की व्यवस्था शामिल हैं के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम के बारे में जानकारियां साझा की गई विद्यार्थियों को महिला हेल्प लाइन नंबर 181 के बारे में अवगत कराया गया। पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112,100 चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह की शपथ दिलाई गयी।

बकाया जल बिल न भरने वालों पर गिरेगी गाज

उदयपुर, (कासं)। शहर में जल बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग ने उदयपुर शहर के नगर खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के उन उपभोक्ताओं को अंतिम चेतावनी जारी की है, जिनका जल राजस्व लंबे समय से बकाया है।

अधिशाषी अभियन्ता विमल प्रकाश सिसौदिया द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों के सभी बकायादारों को 7 कार्यदिवसों के भीतर अपनी बकाया राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित पेयजल कनेक्शन काट दिया जाएगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि बकाया जल राजस्व जमा नहीं कराने पर केवल कनेक्शन ही नहीं कटेगा, बल्कि जन माँग वसूली अधिनियम और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 229 के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत विभाग बकायादारों के खिलाफ वारंट जारी करने, संपत्ति कुर्क करने और उसकी नीलामी जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, "अ"श्रेणी निम्बाहेड़ा

दूरभाष – कार्यालय–01477–220040 ईमेल– kums.nimbahe@rajasthan.gov.in

क्रमांक/कृउमस/आंवटन/25–26/1259–1282 दिनांक:– 05.02.2026

विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेडा के फल–सब्जी मण्डी प्रांगण मे चिन्हित एवं रिक्त दुकान/गोदाम भूखण्डों के आवंटन हेतु इस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति कमांक 1250–1266 दिनांक 12.03.2022 एवं कंमांक 333–348 दिनांक 27.06.2022 के कम मे अनुज्ञापत्रधारी संयुक्त/'क' वर्ग दलाल/व्यापारी वर्ग निःषक्तजन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं महिला कृषक (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा) वर्ग तथा जैविक खेती उत्पाद कृषक वर्ग, अनुज्ञापत्रधारी तेल मील एवं अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाई वर्ग, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी एवं वन उपज/औषधी पादप/जड़ी बुटी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग के अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदन पत्रों के दिये आंकडों एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर जांच एवं सत्यापन किए जाने के उपरान्त अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(4) की पालना मे निम्नानुसार पात्र एवं अपात्र सूची जारी की जाती हैं। अचल संपति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1)
के तहत 01.04.2010 के पूर्व अनुज्ञापत्रधारी जो कि निरन्तर व्यवसायरत हो उन्हे निर्धारित आरक्षित दर पर सर्वप्रथम आवंटन किया जाएगा।

भूखण्ड साईज 15'9X 13+15(08 दुकान मय प्लेटफार्म)

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स मुन्ना खॉ मोहम्मद खॉ	01/28.04.1995	पात्र
2	मैसर्स दुर्गाशंकर गणेशलाल माली	10/30.10.1999	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है
2	मैसर्स महादेव सब्जी भण्डार	375/04.07.2008	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
3	मैसर्स शिव ट्रेडर्स	496/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
4	मैसर्स हरीश गोपाल	497/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
5	मैसर्स उसमान भाई मुन्ना भाई	495/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
6	मैसर्स नारायणलाल मोहनलाल	499/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
7	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल	92/31.03.1999	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
8	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
9	मैसर्स ईश्वर फुट कम्पनी	424/17.06.2009	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
10	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
11	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
12	मैसर्स जयनारायण फुट कम्पनी	618/03.09.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
13	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल	616/03.09.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
14	मैसर्स शेहजाद हुसैन सलीम खॉ	554/07.02.2014	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
15	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
16	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
17	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
18	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
19	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
20	मैसर्स शंकर फुट कम्पनी	556/04.03.2014	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
21	मैसर्स जे.के. केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
22	मैसर्स गरीब नवाज वेजीटेबल	792/13.01.2021	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
23	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
24	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
25	मैसर्स मोहम्मद बिलाल मोहम्मद इकबाल फुट एण्ड वेजीटेबल कम्पनी	819/04.10.2021	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण

आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत प्रथम वरियता के अनुज्ञापत्रधारी शेष नही रहनें पर द्वितीय वरीयता पर विज्ञप्ति जारी होने से ठीक पूर्व के 3 पूर्ण वित्तीय वर्षो मे निरन्तर व्यवसायरत फर्म को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर की डेढ गुना राषि पर आवंटन किया जायेगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(2) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स महादेव सब्जी भण्डार	375/04.07.2008	पात्र
2	मैसर्स शिव ट्रेडर्स	496/10.02.2012	पात्र
3	मैसर्स हरीश गोपाल	497/10.02.2012	पात्र
4	मैसर्स उसमान भाई मुन्ना भाई	495/10.02.2012	पात्र
5	मैसर्स नारायणलाल मोहनलाल माली	499/10.02.2012	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(2) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
2	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
3	मैसर्स ईश्वर फुट कम्पनी	424/17.06.2009	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
4	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
5	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
6	मैसर्स जयनारायण फुट कम्पनी	618/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
7	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
8	मैसर्स शेहजाद हुसैन सलीम खॉ	554/07.02.2014	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
9	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
10	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
11	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
12	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
13	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
14	मैसर्स शंकर फुट कम्पनी	556/04.03.2014	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
15	मैसर्स जे.के. केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
16	मैसर्स गरीब नवाज वेजीटेबल	792/13.01.2021	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
17	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
18	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
19	मैसर्स मोहम्मद बिलाल मोहम्मद इकबाल फुट एण्ड वेजीटेबल कम्पनी	819/04.10.2021	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण

अचल सम्पति आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 7(1)(1) व 7(1)(2) के समस्त पात्र अनुज्ञापत्रधारी के आवंटन के पश्चात् दुकान/भूखण्ड रिक्त रहने की दषा मे शेष समस्त आवेदकों आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किया जावेगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(3) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	पात्र
2	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	पात्र
3	मैसर्स ईश्वर फुट कम्पनी	424/17.06.2009	पात्र
4	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	पात्र
5	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	पात्र
6	मैसर्स जयनारायण फुट कम्पनी	618/03.09.2015	पात्र
7	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	पात्र
8	मैसर्स शेहजाद हुसैन सलीम खॉ	554/07.02.2014	पात्र
9	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	पात्र
10	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	पात्र
11	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	पात्र
12	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	पात्र
13	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	पात्र
14	मैसर्स शंकर फुट कम्पनी	556/04.03.2014	पात्र
15	मैसर्स जे.के. केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	पात्र
16	मैसर्स गरीब नवाज वेजीटेबल	792/13.01.2021	पात्र
17	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	पात्र
18	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	पात्र
19	मैसर्स मोहम्मद बिलाल मोहम्मद इकबाल फुट एण्ड वेजीटेबल कम्पनी	819/04.10.2021	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(3) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल माली	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है

आवंटन के लिए उपरोक्त अनुसार अनुज्ञापत्रधारी संयुक्त/'क' वर्ग दलाल/व्यापारी वर्ग निःशक्तजन